भारत सरकार

परमाणु ऊर्जा विभाग

10.03.2016 को राज्य सभा में

पूछा जाने वाला अतारांकित प्रश्न संख्या : 1448

नाभिकीय क्षति के लिए अभिसमय को अनुसमर्थन

1448. **श्रीमती वंदना चव्हाण:**

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) **क्या सरकार ने नाभिकीय क्षति के लिए अभिसमय को अनुसमर्थन दिया है, यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और**

(ख) **क्या भारत में नाभिकीय क्षति देयता से संबंधित मौजूदा घरेलू कानून पुष्टि किए गए कानून से मेल नहीं खाता है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?**

उत्तर

राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन तथा प्रधान मंत्री कार्यालय (डॉ. जितेन्द्र सिंह):

(क) **जी, हाँ। सरकार ने, नाभिकीय क्षति के लिए अनुपूरक क्षतिपूर्ति कन्वेंशन (सीएससी) को अनुसमर्थन दिया है और इस संबंध में, 4 फरवरी, 2016 को, अनुसमर्थन संबंधी दस्तावेज, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आईएईए) में जमा कर दिया गया है। नाभिकीय क्षति के लिए अनुपूरक क्षतिपूर्ति कन्वेंशन का मुख्य उद्देश्य है, एक विश्वव्यापी दायित्व व्यवस्था लागू करना और नाभिकीय दुर्घटनाओं के पीड़ितों को मिलने वाली क्षतिपूर्ति राशि को बढ़ाना। इस कन्वेंशन का एक सदस्य बनने पर, आवश्यकता पड़ने पर, नाभिकीय दुर्घटना होने की स्थिति में, नाभिकीय क्षति के लिए अनुपूरक क्षतिपूर्ति कन्वेंशन के तहत दायित्व [जो नाभिकीय क्षति के लिए असैन्य दायित्व अधिनियम, 2010 के तहत 300 मिलियन विशेष आहरण अधिकार (एसडीआर्ज़) है के रूपए में तुल्य] की राष्ट्रीय सीमा से अधिक अंतर्राष्ट्रीय निधि प्राप्त कर सकेगा।**

(ख) **जी, नहीं।**

****